


10 118

विशेष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, रीवा में



R-1408-I/12

1181  
4572  
मध्य प्रदेश की न्यायिक प्रणाली  
एन.वा.ड.ए. 20-4-2012

1. राधिका प्रसाद सोनी पिता रामनरेश सोनी उम्री 48 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सहरतताल डोंगरी थाना - सरई तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश ।
2. रामविचारे पिता भागीरथी उम्री 35 वर्ष पेशा - खेती निवासी ग्राम सहरतताल / डोंगरी थाना - सरई, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

--- निगरानीकर्तागण

बनाम

सुखदंन - पिता रामकेशवर सोनी उम्री 50 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम झलरी / डोंगरी थाना सरई, तहसील - सिंगरौली जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश ।

2. मध्य प्रदेश शासन

--- अनापेक्षक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सिंगरौली मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक 148/अ-74/2010-2011 आदेश दिनांक 11.4.2011.

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959.

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

मान्यवर,  
सिंगरौली जिला स्थित ग्राम सहरतताल / डोंगरी की आराजी खसरा क्रमांक पुराना 207 अंश रकबा 2.00 हे० नवीन बन्दोबस्त आराजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1408-I/12

जिला-सिंगरौली

राधिका प्रसाद सोनी/सुखनंदन सोनी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 148/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे।</p> <p style="text-align: center;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	
III/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/0526		